UPPG010002822018

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–2, प्रतापगढ़।
उपस्थित–राम लाल–द्वितीय (एच०जे०एस०) जे0 ओ 0 कोड–UP 6467
एम.एन.आर. संख्या–38/2018
राम अंजोर **बनाम** हाफिज अली उर्फ हफीज

दिनांकः– 01.07.2026

1. पत्रावली पेश हुई पुकार करायी गयी। पक्षकार विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। अपीलार्थी/वादी की ओर से 12ग2 धारा–5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए संक्षेप में कहा गया कि अपीलार्थी /वादी मूलवाद में पैरवी कर रहा था। सन् 2016 में तबियत व मानसिक स्थिति खराब होने के कारण वह न्यायालय उपस्थित नहीं आ सका। अपीलार्थी/वादी के अनुपस्थिति में दिनांक 22.12.2016 को आदेश पारित कर दिया गया, जिसकी जानकारी अपीलार्थी/वादी को नहीं हो सकी। जब विपक्षी विवादित भूमि पर कब्जा दिनांक 28/29.12.2017 को करने लगे तब मामले की जानकारी हुई। नकल आदि प्राप्त करने के बाद अविलम्ब अपील, मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत किया गया। यदि अवसर न मिला तो अपूर्णनीय क्षति होगी।
2. इसके विपरीत 23ग2 आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि बीमारी का कोई प्रार्थना पत्र मूलवाद में दाखिल नहीं गया था। जानबूझकर कार्यवाही को विलम्ब करने हेतु अपीलार्थी मूलवाद में गैर हाजिर हो गया था। धारा –5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।
3. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।
4. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलार्थी /वादी आदेश दिनांकित 22.12.2016 के विरूद्ध दिनांक 08.01.2018 को अपील अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है। प्रश्नगत मामले को गुणदोष के आधार पर निस्तारण किये जाने के लिये उपरोक्त परिस्थितयों में न्यायहित में धारा –5 परिसीमा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जहाँ तक विलम्ब का प्रश्न है उसकी पूर्ति क्षतिपूर्ति के रूप में की जा सकती है। तद्नुसार अपीलार्थी /वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 12ग2 अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

Digitally signed by RAM LAL
Date: 2026.07.01 16:59:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

<u>आदेश</u>

5. प्रार्थना पत्र 12ग2 अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 5000/–रूपये (पांच हजार रूपये) हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। एम.एन.आर. को दाखिल करने में जो विलम्ब हुआ है, धारा– 5 परिसीमा अधिनियम का लाभ देते हुये विलम्ब क्षमा किया जाता है। एम.एन.आर. कर्ता हर्जे की धनराशि विपक्षी / जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में अन्दर सप्ताह जमा करें।

6. हर्जा नियत तिथि के पूर्व तक जमा कर हर्जे की रसीद दाखिल करने के उपरान्त दीवानी अपील अंगीकृत किये जाने के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक 30.07.2026 को पक्षकार जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में उपस्थित हों। पत्रावली हर्जा अदायगी उपरान्त जनपद न्यायाधीश, प्रतापगढ़ के कार्यालय को अविलम्ब प्रेषित हो। यदि हर्जा दिनांक 30.07.2026 के पूर्व तक जमा नही किया जाता है तो एम.एन.आर. मेमो पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तार हो।

<u>दिनांक 01.07.2026</u>

(राम लाल–द्वितीय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या–2, प्रतापगढ़।
J.O.CODE–UP6467

स्टेनोः–अभयराज